745

[2022] 8 एस. सी. आर. 745

ए.

सुनीता नैरेडी और एक और बनाम।

जाँच और अन्य का केंद्रीय आधार (2022 की रिट याचिका (आपराधिक) No.169)

बी.

29 नवंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जेजे।**]**

आपराधिक मुकदमे का हस्तांतरण-निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई-आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चाचा की रहस्यमय मौत से संबंधित याचिका-मृतक की बेटी और पत्नी द्वारा दायर लिखित याचिका जिसमें मुकदमे को स्थानांतरित करने और समयबद्ध तरीके से जांच को विधिवत पूरा करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है-याचिकाकर्ताओं की आशंका है कि स्टार गवाहों/गवाहों को जान का खतरा था और कुछ गवाह पहले से ही प्रभावित थे और न्याय नहीं किया जाएगा और/या एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी-आयोजितः न्याय न केवल किया जाना है बल्कि न्याय भी किया गया प्रतीत होता है-स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत अनिवार्य है-उत्पीड़न और तुच्छ/झूठी शिकायत दर्ज करने की आशंका के कारण सीबीआई/जांच एजेंसी ने आगे की जांच बंद कर दी-एक उचित आशंका थी कि जहां तक बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर आगे की जांच का संबंध है, कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी-प्रमुख गवाहों में से एक ने शुरू में स्वेच्छा से अपना बयान दिया, उसके बाद वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं आया और उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई-याचिकाकर्ताओं को पीड़ित के रूप में न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है-यह मुकदमा स्थानांतरित करने और आगे की जांच के लिए एक उपयुक्त न्यायालय है।21 और 32.

सी.

डी.

ई.

एफ.

रिट याचिका को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** तथ्यों से यह पता चलता है कि प्रमुख गवाहों में से एक ने हालांकि शुरू में धारा **164 Cr.P.C** के तहत अपना बयान देने के लिए स्वेच्छा दिखाई और

सीबीआई ने धारा **164 Cr.P.C** के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया**,** इसके बाद वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं आया और इसके विपरीत

एच.

745 ए.

746 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन पर सीबीआई द्वारा दबाव डाला जा रहा है। कि उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मृतक की बेटी और पत्नी होने की आशंका कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है और घटना स्थल पर बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर आगे की जांच के संबंध में कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है**,** काल्पनिक है और**/**या इसमें कोई सार नहीं है।याचिकाकर्ता जो मृतक की बेटी और पत्नी हैं**,** उन्हें पीड़ित के रूप में न्याय पाने का मौलिक अधिकार है और उन्हें वैध उम्मीद है कि आपराधिक मुकदमा निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से चलाया जा रहा है और किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित नहीं है।इन परिस्थितियों में**,** इस न्यायालय की राय है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य को बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर मुकदमे और आगे की जांच को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।**[**पारस **12** और **13] [754-**ई**-**एच**; 755-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

2. कानून की स्थिर स्थिति के अनुसार**,** न्याय न केवल किया जाना है**,** बल्कि न्याय भी किया गया है।कानून की तय स्थिति के अनुसार**,** स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद **21** की अनिवार्यता है।यदि आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है और यदि यह पक्षपाती है**,** तो न्यायिक निष्पक्षता और आपराधिक न्याय प्रणाली दांव पर लग जाएगी**,** जिससे व्यवस्था में जनता का विश्वास हिल जाएगा।हालाँकि**,** साथ ही**,** मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी है और उन गवाहों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है**,** इस न्यायालय की राय है कि मुकदमे को नई दिल्ली स्थानांतरित करने के बजाय**,** इसे हैदराबाद में सीबीआई विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।एतद्द्वारा मुकदमे को सीबीआई विशेष न्यायालय**,** हैदराबाद में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है।आरोप पत्र**/**पूरक आरोप पत्र सहित सभी संबंधित कागजात अब सी**.** बी**.** आई**.** विशेष न्यायालय**,** हैदराबाद को हस्तांतरित किए जाने हैं।सी**.** बी**.** आई**.** को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर उपरोक्त एफ**.** आई**.** आर**.** में आगे की जांच**/**जांच को जल्द से

जल्द पूरा करे**,** जैसा कि उच्च न्यायालय ने पहले कहा था और यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।**[**पैरा **14** और **15]** **[755-**बी**-ई]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

747

सुनीता नैरेडी और एक और बनाम केंद्रीय अन्वेषण और अन्य ए

अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल **(2009) 6** एससीसी

260 :[2009] 9 एस**.** सी**.** आर**. 194-**अनुसरण किया गया।

अब्दुल नजर मदनी बनाम टी**.** एन**.** राज्य **(2000) 6** एस**.** सी**.** सी**. 204:[2000] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1028;** जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल

(II) बनाम टी. एन. राज्य (2005) 8 एस. सी. सी. 771:[2005] 4 पूरक।एस. सी. आर. 556-संदर्भित।

बी.

संदर्भित निर्णय

[2009] 9 एससीआर **194**

पीछा किया।

पैरा **4 [2000] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1028** पैरा **7 [2005] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **7.1** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 556**

सी.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (आपराधिक) No.169।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्तागण , सुश्री जेसल वाही, अनमोल खेटा, सुश्री चेस्ता जेतली, सुश्री विधि ठाकर, अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं के लिए।

डी.

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., एस. निरंजन रेड्डी, गुरु कृष्णकुमार, कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्तागण , सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, वत्सल जोशी, विनायक शर्मा, नकुल चेंगप्पा के. के., अरविंद कुमार शर्मा, महफूज अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजया भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री अखिला पालेम, अभिषेक शर्मा, साहिल रवीन, आशुतोष दुबे, आर. कृष्णामूर्ति, मोहित जैसवाल, ध्रुव गोसोमी, शिव सागर तिवारी, नेपाल सिंह, सुश्री आकांक्षा तिवारी, वेंकटेश राजपूत, अनंगा भट्टाचार्य, रोहित राव। एन., सुश्री देवहुती तमुली, सुश्री एकता प्रधान, सुश्री अनुष्का सिंह, मैसर्स वेरिटास लेजिस, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका को मृतक की बेटी और पत्नी-वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी ने आर. सी.-04 (एस)/2020/सी. बी. आई./एस. सी.-3/नई दिल्ली से उत्पन्न मुकदमे को सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश से सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद या सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने और सी. बी. आई. को समयबद्ध तरीके से उपरोक्त एफ. आई. आर. में जांच को विधिवत पूरा करने का निर्देश देने की मांग की है।

जी.

एच.

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने विद्वान कि यह घटना स्वर्गीय श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी की रहस्यमय मौत से संबंधित है, जो स्वर्गीय श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी (संयुक्त राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री) के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और घटना के समय विरोधी नेता श्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी के चाचा थे।

बी.

2.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की उसके घर में 14-15 03.2019 की दरम्यानी रात को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) का गठन किया था।हालाँकि, बाद में, याची संख्या 2 और श्री वाई. जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए याचिकाएँ दायर कीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद राज्य विधानसभा के चुनाव 11.04.2019 पर हुए और श्री वाई. जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने और 30.05.2019 पर शपथ ली।इसके बाद, एस. आई. टी. को दो बार फिर से गठित किया गया, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई और इसलिए याची नंबर 1 को जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि, श्री वाई. जगनमोहन रेड्डी ने जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए अपनी याचिका वापस ले ली और राज्य ने भी इस तरह के स्थानांतरण का विरोध किया।हालांकि, उच्च न्यायालय ने जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने पर खुशी जताई।

सी.

डी.

ई.

2.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद और सी. बी. आई. द्वारा जाँच अपने हाथ में लेने के बाद, पर्याप्त प्रगति हुई और समय के साथ, पाँच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि आरोप पत्र में वाई. एस. अविनाश रेड्डी की भूमिका सामने आई, जो आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के एक मौजूदा सांसद हैं और उनका उल्लेख एक संदिग्ध के रूप में किया गया था और उन्होंने सबूतों को नष्ट करने और झूठी खबर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि मृतक की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, उक्त वाई. एस. अविनाश रेड्डी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और राज्य के अधिकारी और प्रभावशाली लोग उक्त वाई. एस. अविनाश रेड्डी और उनके करीबी सहयोगी डी. शिवशंकर रेड्डी (ए 5) को बचाने के उद्देश्य से जांच को बाधित करने के लिए सभी प्रकार की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इतना ही नहीं, सी. बी. आई. के अधिकारियों के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की गई और सी. बी. आई. के अधिकारियों को उक्त शिकायत के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया और उच्च न्यायालय ने आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

एफ.

जी.

एच.

सुनीता नैरेडी और एक और बनाम जांच और अन्य का केंद्रीय निकाय [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि शिकायत लंबित होने और सी. बी. आई. अधिकारियों के आंध्र प्रदेश छोड़ने के कारण जाँच रुकी हुई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद सी. बी. आई. अधिकारियों ने अभियुक्तों के कहने पर और अधिक झूठी शिकायतों और आंध्र प्रदेश की यात्रा करके जांच फिर से शुरू करने पर राज्य के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप की उम्मीद करते हुए जांच फिर से शुरू नहीं की है।

बी.

2.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध में शामिल लोग, राज्य के अधिकारियों और राज्य के प्रभावशाली लोगों की सहायता और सक्रिय भागीदारी के साथ जांच को बाधित करने और गवाहों, जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करके दोषियों को बचाने के लिए सचेत प्रयास कर रहे हैं।

सी.

2.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमुख गवाहों और अभियुक्तों, विशेष रूप से एक शेख दस्तगिरी (ए4) और एक रंगन्ना (पीडब्लू61) की जान खतरे में है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमुख गवाहों में से एक की संदिग्ध तरीके से मृत्यु हो गई है।

2.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों में से एक जो शुरू में धारा 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान देने के लिए सहमत हुआ था, बाद में डर गया है और उसे ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है और उसके बाद उसने धारा 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान देने से इनकार कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आगे की जांच नहीं करने के लिए सभी दबाव रणनीति अपनाई जा रही है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि गवाह खतरे में हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को आशंका है कि उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है और इसलिए मुकदमे को नई दिल्ली या हैदराबाद में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जाता है।

डी.

ई.

2.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ गवाहों को भी उनके लिए जीवन के खतरे की धारणा को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए याचिकाकर्ताओं को उचित आशंका है कि अगर सीबीआई विशेष न्यायालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश में इसे जारी रखा जाता है तो कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई नहीं होगी।

एफ.

3. श्री के. एम. नटराज, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, प्रत्यर्थी -सी. बी. आई. की ओर से पेश हुए हैं। सीबीआई की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर विद्वान गया है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, हत्या की बड़ी साजिश और अपराध स्थल पर सबूतों को नष्ट करने के मुद्दे पर मामले की आगे की जांच अभी भी जारी है।

जी.

3.2 अब जहाँ तक गवाहों को प्रभावित करने/प्रलोभन देने/धमकी देने और झूठी और तुच्छ शिकायतों पर आवेदकों के आरोप की बात है

एच.

सी. बी. आई./जाँच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच के दौरान सामने आई घटनाओं से संकेत मिलता है कि मामले में कई गवाहों को आरोपी डी. शिवशंकर रेड्डी (ए 5) और उसके करीबी सहयोगियों के इशारे पर प्रभावित किया जा रहा है।यह बताया गया है कि तीन सितारा गवाहों पर पहले से ही ए 5 और अन्य साजिशकर्ताओं के प्रभाव में आने का संदेह है।

बी.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान, एक अपराधी और आरोपी डी. शिवशंकर रेड्डी (ए 5) के करीबी सहयोगी के. गंगाधर रेड्डी ने खुद सीबीआई से संपर्क किया था और उसके बाद धारा 161 Cr.P.C के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उन्होंने विद्वान मजिस्ट्रेट को बयान देने के लिए स्वेच्छा से काम विद्वान ।इसलिए, सी. बी. आई. के जांच अधिकारी ने विद्वत न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए एक आवेदन दायर विद्वान और दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से विद्वत न्यायालय ने धारा 164 के तहत के. गंगाधर रेड्डी का बयान दर्ज करने के लिए विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), जमालमुडुगु को नामित विद्वान । हालांकि, <आई. डी. 1 पर, उक्त के. गंगाधर रेड्डी धारा 164 <आई. डी. 3 के तहत अपना बयान देने के लिए जे. एम. एफ. सी., जमालमुडुगु की न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि इसके विपरीत उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया कि उन पर बयान देने के लिए सी. बी. आई. द्वारा दबाव डाला जा रहा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद उक्त के. गंगाधर रेड्डी की उनके घर में 9.6.2022 पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक अन्य गवाह, अर्थात्

जे. शंकरैया को घटना के संबंध में कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था और जिसका बयान पहले धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था. धारा 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश होना था, हालांकि, उन्हें चेतावनी दी गई है और शुरू में वह दिनांक 30.09.2021 के आदेश के अनुसार अपना बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं हुए।हालाँकि, इसके बाद उनका निलंबन 6.10.2021 पर रद्द कर दिया गया और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया और इसलिए उसके बाद वह धारा 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो सितारा गवाह पहले से ही पुलिस सुरक्षा में हैं, उनके लिए जीवन के खतरे की धारणा को देखते हुए।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों को प्रभावित करने और/या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की सभी संभावनाएं हैं और बड़ी साजिश पर आगे की निष्पक्ष जांच नहीं होगी क्योंकि सीबीआई/जांच एजेंसी के अधिकारियों पर भी दबाव डाला जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है और यहां तक कि उनके खिलाफ झूठी प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है।

जी.

एच.

751

सुनीता नैरेडी और एक और बनाम जांच और अन्य का केंद्रीय निकाय [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4. श्री एस. निरंजन रेड्डी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य की ओर से पेश हुए हैं और उन्होंने वर्तमान याचिका का विरोध विद्वान है।हमने श्री कपिल सिब्बल और श्री गुरु कृष्णकुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना है जो संबंधित उत्तरदाताओं/नेतृत्वकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जो वर्तमान रिट याचिका का विरोध कर रहे हैं।प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी वर्तमान याचिका का विरोध किया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया जाता है।

बी.

4.1 वर्तमान याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों/पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील/वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि मांगी गई राहत के लिए वर्तमान याचिका पर विचार नहीं विद्वान जा सकता है।

सी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक दलीलें गवाहों को प्रभावित करने और आरोपी संख्या 4-सरकारी गवाह और अन्य गवाहों के जीवन को खतरे में डालने के संबंध में हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अभियुक्त या गवाहों के जीवन के लिए कोई वास्तविक खतरे की धारणा स्थापित नहीं की गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की हत्या को तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन किसी भी गवाह या आरोपी ने पुलिस, सी. बी. आई. या अदालतों से संपर्क नहीं किया है और जीवन के लिए किसी भी खतरे का आरोप नहीं लगाया है।

डी.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में गवाहों, अर्थात् शेख दस्तगिरी और रंगन्ना को पहले ही गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

ई.

4.4 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल, (2009) 6 एस. सी. सी. 260

प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच/परीक्षण नहीं मिलने की आशंका उचित और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए।

एफ.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका में मांगे गए मुकदमे के हस्तांतरण की राहत का आरोपी के बचाव के अधिकार पर सीधा असर पड़ता है।4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 250 से अधिक गवाहों से पूछताछ की जानी है और इसलिए यदि मुकदमा दिल्ली और/या आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो यह न केवल उन गवाहों के लिए अनुचित कठिनाई का कारण बन सकता है, बल्कि वास्तव में आरोपी को पूर्वाग्रह भी हो सकता है और इसलिए निष्पक्ष सुनवाई की संभावना नहीं हो सकती है।

जी.

एच.

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

वर्तमान याचिका स्वर्गीय वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी की रहस्यमय मृत्यु से संबंधित है, जो स्वर्गीय वाई. एस. राजशेखर रेड्डी (संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री) के भाई और वाई. एस. के चाचा थे।वर्तमान याची नंबर 1 डॉ. सुनीता नार्रेडी मृतक की बेटी हैं।वे पेशे से डॉक्टर हैं।भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका मृतक की बेटी और पत्नी द्वारा दायर की गई है, जिसमें आर. सी.-04 (एस)/2020/सी. बी. आई./एस. सी.-3/नई दिल्ली से उत्पन्न मुकदमे को सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश से सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद या सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने और सी. बी. आई. को समयबद्ध तरीके से उपरोक्त एफ. आई. आर. में जांच को विधिवत पूरा करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

बी.

सी.

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह माना जाता है कि स्टार गवाहों/गवाहों को जान का खतरा है और कुछ गवाह पहले से ही प्रभावित हैं।इसलिए, इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी और राज्य तंत्र के प्रभाव के कारण हत्या और अपराध स्थल पर सबूतों को नष्ट करने के लिए बड़ी साजिश के मुद्दे पर एक निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई और आगे की जांच नहीं हो सकती है।

डी.

ई.

7. अब्दुल नजर मदनी बनाम टी. एन. राज्य के मामले में, (2000)

6 एस. सी. सी. 204, पैराग्राफ 7 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:“7. आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य बाहरी विचारों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है।जब यह दिखाया जाता है कि मुकदमे की निष्पक्षता में जनता का विश्वास गंभीर रूप से कम हो जाएगा, तो कोई भी पक्ष धारा 407 के तहत राज्य के भीतर और सीआरपीसी की धारा 406 के तहत देश में कहीं भी मामले को स्थानांतरित करने की मांग कर सकता है। अनुमानों और अनुमानों के आधार पर निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या मुकदमा नहीं मिलने की आशंका उचित और काल्पनिक नहीं होनी चाहिए।यदि यह प्रतीत होता है कि आपराधिक न्याय का वितरण निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी

न्यायालय के समक्ष या किसी भी स्थान पर संभव नहीं है, तो उपयुक्त न्यायालय मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है जहां उसे लगता है कि निष्पक्ष और उचित सुनवाई का आयोजन अनुकूल है।ए को तय करने के लिए कोई सार्वभौमिक या कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

एफ.

जी.

एच.

753

सुनीता नैरेडी और एक और बनाम जांच और अन्य का केंद्रीय निकाय [एम. आर. शाह, जे.] ए.

एक स्थानांतरण याचिका जिसका निर्णय हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना है।मुकदमे में पेश किए जाने वाले गवाहों सहित पक्षों की सुविधा भी स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेने के लिए एक प्रासंगिक विचार है।

7.1 जयेंद्र के मामले में भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है।

सरस्वती स्वामीगल (II) बनाम टी. एन. राज्य, (2005) 8 एस. सी. सी. 771।

बी.

8. यह सच है कि कानून की तय स्थिति के अनुसार और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मामले के हस्तांतरण के लिए अमरिंदर सिंह (उपरोक्त) के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, किसी मामले में पक्ष की ओर से एक उचित आशंका होनी चाहिए कि न्याय नहीं किया जा सकता है।उक्त निर्णय में यह भी देखा गया है कि यह न्याय के प्रशासन के सिद्धांतों में से एक है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाता हुआ भी देखा जाना चाहिए।हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में कहा गया है, न्यायालय को यह देखना होगा कि कथित आशंका उचित है या नहीं।आशंका न केवल काल्पनिक होनी चाहिए, बल्कि न्यायालय के सामने एक उचित आशंका के रूप में दिखाई देनी चाहिए।

सी.

डी.

9. आइए अब हम विचार करें कि क्या यह आशंका कि न्याय नहीं होगा और/या निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, उचित है या नहीं।मृतक की हत्या 14-15/03 2019 को उसके घर में की गई थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था। इसके बाद, याची नंबर 2 और वाई. जगनमोहन रेड्डी (वर्तमान मुख्यमंत्री) ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष जांच को

सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की। कि इसके बाद राज्य विधानसभा में आरोप 11.04.2019 पर लगाए गए और उक्त वाई. जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने और 30.05.2019 पर शपथ ली।इसके बाद, एस. आई. टी. को दो बार फिर से गठित किया गया, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई और इसलिए याची नंबर 2 को जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालाँकि, बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, वाई. जगनमोहन रेड्डी ने जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने की अपनी याचिका वापस ले ली और राज्य ने इस तरह के हस्तांतरण का विरोध किया।हालांकि, उच्च न्यायालय ने जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने पर खुशी जताई और इस तरह सी. बी. आई. ने जांच अपने हाथ में ले ली।जाँच के दौरान, सी. बी. आई. ने आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र दायर किया।हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, हत्या की बड़ी साजिश और अपराध की योजना में सबूतों को नष्ट करने के मुद्दे पर सीबीआई द्वारा आगे की जांच अभी भी जारी है।बड़ी साजिश पर आगे की जांच के दौरान, अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई

ई.

एफ.

जी.

एच.

754

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

सी. बी. आई. दायर की गई है जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।ऐसा प्रतीत होता है कि इसलिए उत्पीड़न की आशंका और झूठी/तुच्छ शिकायतें दर्ज करते हुए, सी. बी. आई./जांच एजेंसी ने आगे की जांच बंद कर दी।इसलिए, एक उचित आशंका है कि जहां तक बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर आगे की जांच का संबंध है, कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी।

बी.

10. यहां तक कि दो प्रमुख गवाहों, शेख दस्तगिरी और रंगन्ना को पहले से ही गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत पुलिस सुरक्षा दी गई है, जो जीवन के खतरे की धारणा को देखते हुए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार है।यहां तक कि वर्तमान याचिका के जवाब में, राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने दो गवाहों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को भी प्रस्तुत किया है।

सी.

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, गवाहों में से एक, जिसे धारा 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करना था, अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश नहीं हुआ है, हालांकि शुरू में उसने स्वेच्छा से धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान दिया था। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उसके बाद उसके निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया है और उसे वापस ड्यूटी पर ले लिया गया है।

डी.

12. ऊपर वर्णित तथ्यों से यह पता चलता है कि प्रमुख गवाहों में से एक, के. गंगाधर रेड्डी, हालांकि शुरू में उन्होंने धारा 164 के तहत अपना बयान देने के लिए स्वेच्छा से काम किया और सीबीआई ने धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, इसके बाद वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं आए और इसके विपरीत उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन पर सीबीआई द्वारा दबाव डाला जा रहा था। कि उसके बाद उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है।

ई.

एफ.

13. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मृतक की बेटी और पत्नी होने की आशंका कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है और घटना स्थल पर बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर आगे की जांच के संबंध में कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, काल्पनिक है और/या इसमें कोई सार नहीं है।याचिकाकर्ता जो मृतक की बेटी और पत्नी हैं, उन्हें पीड़ित के रूप में न्याय पाने का मौलिक अधिकार है और उन्हें वैध उम्मीद है कि आपराधिक मुकदमा निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से चलाया जा रहा है और किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित नहीं है।इन परिस्थितियों में, ए

जी.

एच.

हमारी राय है कि यह आंध्र प्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य को बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर मुकदमे और आगे की जांच को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

14. कानून की तय स्थिति के अनुसार, न्याय नहीं किया जाना है, बल्कि न्याय भी किया गया है।कानून की तय स्थिति के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 21 की

अनिवार्यता है।यदि आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है और यदि यह पक्षपाती है, तो न्यायिक निष्पक्षता और आपराधिक न्याय प्रणाली दांव पर लग जाएगी, जिससे व्यवस्था में जनता का विश्वास हिल जाएगा।हालाँकि, साथ ही, मुकदमे के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी है और उन गवाहों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है, हमारी राय है कि मुकदमे को नई दिल्ली स्थानांतरित करने के बजाय, इसे हैदराबाद में सीबीआई विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

बी.

सी.

15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है।आर. सी.-04 (एस)/2020/सी. बी. आई./एस. सी.-3/नई दिल्ली से उत्पन्न मुकदमे को सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश से सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है।आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र सहित सभी संबंधित कागजात अब सी. बी. आई. विशेष न्यायालय, हैदराबाद को हस्तांतरित किए जाने हैं। सी. बी. आई. को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह बड़ी साजिश और सबूतों को नष्ट करने पर उपरोक्त एफ. आई. आर. में आगे की जांच/जांच को जल्द से जल्द पूरा करे, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पहले कहा था और यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

देविका गुजराल

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.